सं० स०– 01 / युवा(स्था0) –13 / 2026 259

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक 24.03.26

विषयः– **सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत विभाग के सचिवालय हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 25 पदों पर संविदा के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति की सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत विभाग के सचिवालय हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 25 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से दिनांक–08.04.2026 तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति राज्य में प्रकाशित सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (सी०डी० सहित) संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

S. Dayal 24/3/26

(शंकर दयाल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–01 / युवा(स्था0) –13 / 2026 259 /पटना, दिनाक– 24/03/26

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमती प्रियेश नन्दिनी, आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्री सुनील कुमार, सहायक निदेशक प्रावै0 शिक्षा– सह नोडल पदाधिकारी, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रेस विज्ञप्ति को सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के e-advertisement portal के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि ससमय प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित हो सके।

S. Dayal 24/3/26

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

–:: सूचना ::–

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में युवा, रोजगार एंव कौशल विकास विभाग के सचिवालय हेतु तत्काल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 25 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

कुल 25 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या निम्नवत् है:–

क्र.सं.	पद का नाम	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़े वर्ग की महिला	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या
		35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेत आरक्षित पद।									
1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	10	02	03	04	04	01	01	25	00	VI-1 DD-0 OH-0 MD-0
		04	00	01	01	01	00	00	07		

नियोजन हेतु आवश्यक शर्त्तें एवं योग्यताएँ:–

(i) यह संविदा नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015, परिपत्र संख्या–3815 दिनांक–11.03.2016 विभागीय परिपत्र सं0–1012 दिनांक–27.01.2022 एवं अन्य परिपत्रों में निहित प्रावधानों एवं शर्त्तो के अधीन किया जायेगा।

(ii) चयनित अभ्यर्थी योगदान के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी संलग्न करेंगे कि वे योगदान की तिथि से किसी अन्य नियोजन में नहीं है।

(iii) आवेदक की उम्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 65 वर्ष के अन्दर हो।

(iv) केवल बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी संविदा नियोजन हेतु योग्य होंगे।

(v) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vi) दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–13062 दिनांक–12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(vii) स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–11687 दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी होने का) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–2342 दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

(ix) आवेदक के विरूद्व कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामले में सेवा काल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहद दण्ड नहीं दिया गया हो तथा अंतिम 05 वर्षो में कोई लघु दण्ड एंव पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती पर कोई दण्ड नहीं दिया गया हो। इससे संबंधित शपथ पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

(x) आवेदन के साथ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(xi) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में देना होगा जिसका प्रारूप संलग्न हैं।

(xii) विभाग में आवेदन पत्र दिनांक–08.04.2026 तक उप सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना, चतुर्थतल 'ए' ब्लाक, नियोजन भवन, इनकम टैक्स चौराहा, पटना–1 के पते पर हाथो–हाथ/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नियोजन प्राधिकार को होगा। मात्र आवेदन के आधार पर आवेदक का नियोजन के संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

S. Dayal
24/3/26

(शंकर दयाल)
सरकार के उप सचिव

आवेदक का अद्यतन स्व अभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।

संविदा नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :–
4. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :–
5. वर्त्तमान पता (पिन कोड सहित) :–
6. आवेदक की जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि :–
7. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को उम्र :– वर्ष– माह– दिन–
8. शैक्षणिक योग्यता :–
9. क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र/ क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–
10. विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है। :–
11. सेवानिवृत्त के समय पदनाम :–
12. आवेदक का अंतिम मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता की राशि। :–
13. सेवानिवृत्त के समय पेंशन एवं महंगाई भत्ता की राशि। (पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करें) :–
14. अद्यतन चिकित्सा प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन द्वारा निर्गत :–
15. जिस पद के आवेदक हैं, उस पद पर संविदा नियोजन (यदि हो तो) सहित विगत कार्यानुभव :–

16. मोबाईल संख्या (वाट्सऐप सहित) :–

17. अभ्यर्थी के विरूद्व कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित न हो (यदि हो तो विवरण) :–

18. सेवाकाल में/सेवानिवृत्ति के पश्चात दण्ड की स्थिति :–

  (i) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षो में कोई वृहद दण्ड (यदि हाँ तो विवरण) :–

  (ii) सेवाकाल के अंतिम 05 वर्षो में कोई लघु दण्ड (यदि हाँ तो विवरण) :–

  (iii) पेंशन नियमावली के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड (यदि हाँ तो विवरण) :–

आवेदक का हस्ताक्षर